RTI APPEAL DETAILS

RTI Appeal Registration No. :	PGCIL/A/E/20/00018	**RTI Appeal Received Date :**	01/05/2020
RTI Request Registration No. :	PGCIL/R/E/20/00123	**RTI Request Registration Date :**	15/03/2020
Name :	पुरुषोत्तम मनोहरलाल गांधी	**Gender :**	Male
Address :	मेन रोड, बाजार चौक ,केलवद,तहसील -सावनेर,जिल्हा- नागपुर		
Pin Code :	441112		
State :	Maharashtra	**Country :**	India
Phone :	+91-9422502811	**Mobile No :**	+91-9422502811
Email :	lalagandhi931@gmail.com		
Status :	Rural	**Educational Status :**	
Citizenship :	Indian	**Is Appellant below poverty line ? :**	No
CPIO of Public Authority Approached :	11930	**CPIO's Order/Decision Date :**	Details not provided
CPIO's Order/Decision No. :	Details not provided		
Ground For Appeal :	No Response Within the Time Limit		
Text of RTI First Appeal :	प्रति, प्रथम अपीलीय अधिकारी, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पश्चिमी क्षेत्र २ वड़ोदरा . महोदय, मैंने दिनाक 15/03/2020 को पंजीकरण संख्या पी.जी.सी.आय.एल./आर/इ/20/00123 द्वारा ऑनलाइन सुचना अधिकार आवेदन दिया था लेकिन इसकी समय सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद भी आज तक कोई भी जवाब मुझे अप्राप्त है .आपसे निवेदन है की ,इस बाबत मेरी प्रथम अपील के तहत उचित कारवाई की जाये. . निम्नलिखित विषय के संदर्भ मे मैंने सी.पी.आय.ओ. श्री .अभिनव वर्मा (डब्लू. आर -2) इन्हें भी ईमेल द्वारा दिनांक 26/04/2020 को संपर्क किया था .लेकिन कोई भी जवाब आज तक अप्राप्त है .कृपया निम्नलिखित जानकारी दी जाये. (१)महाराष्ट्र के नागपुर जिल्हा अंतर्गत सावनेर तहसील में पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (पश्चिमी क्षेत्र २) द्वारा निर्मितगाडरवारा वरोरा ७६५ के वी पारेषण लाइन के मौजा रामपुरी स्थित (अ) सर्वे क्र.१३१/२ में निर्मित टावर क्र.३८/० , (ब) सर्वे क्र.११७ में निर्मित टावर क्र ३८/१, (क) सर्वे क्र १०३ में निर्मित टावर क्र ३८/२, (ड) सर्वे क्र ८९ में निर्मित टावर क्र३८/३ के भूमि धारक को उपविभागीय अधिकारी सावनेर की अध्यक्षता में नियुक्त आधिकारिक समितिने टावर व्याप्त क्षेत्र का कितना मुआवजा तय किया है तथा यह मुआवजा कौनसे व्यक्ति के बैंक खाते में कौनसे बैंक में कब कब वितरित किया गया इस बाबत जानकारी (२) महाराष्ट्र के नागपुर जिल्हा अंतर्गत सावनेर तहसील में पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (पश्चिमी क्षेत्र २) द्वारा निर्मित गाडरवारा वरोरा ७६५ के वी पारेषण लाइन के मार्ग में मौजा रामपुरी स्थित सर्वे क्र.१३१/२ , सर्वे क्र.११७ सर्वे क्र १०३ तथा सर्वे क्र १०५ में निर्मित पारेषणलाइन के तार के निचे की भूमि धारक को उपविभागीय अधिकारी			

सावनेर की अध्यक्षता में नियुक्त आधिकारिक समितिने पारेषण तार के निचे व्याप्त क्षेत्र का कितना मुआवजा तय किया है तथा यह मुआवजा कौनसे व्यक्ति के बैंक खाते में कौनसे बैंक में कब कब वितरित किया गया इस बाबत जानकारी (३)) महाराष्ट्र के नागपुर जिल्हा अंतर्गत सावनेर तहसील में पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया (पश्चिमी क्षेत्र २) द्वारा निर्मित गाडरवारा वरोरा ७६५ के वी पारेषण लाइन के मार्ग में मौजा रामपुरी सर्वे क्र.१३१/२ , सर्वे क्र.११७ सर्वे क्र १०३ तथा सर्वे क्र १०५ में निर्मित टावर का टावर व्याप्त क्षेत्र एवम पारेषण लाइन के तार के निचे की भूमि का मुआवजा निर्धारित करते वक़्त यह भूमि अकृषक भूमि मानकर मुआवजा तय किया गया या कृषि उपयोगी भूमि मानकर इस बाबत जानकारी (४) मौजा रामपुरी स्थित सर्वे क्र.१३१/२ , सर्वे क्र.११७ सर्वे क्र १०३ तथा सर्वे क्र १०५ को यदि अकृषक भूमि मानकर मुआवजा तय किया गया है तो इस बाबत भूमि धारक अथवा सरकारी विभाग द्वारा अधिकारिक समिति को दायर किये गए अकृषक आदेश एवंम पत्र व्यवहार की प्रतिलिपि. (५) द्वितीय श्रेणी निबंधक -१ सावनेर द्वारा मौजा रामपुरी स्थित सर्वे क्र.१३१/२ , सर्वे क्र.११७ सर्वे क्र १०३ तथा सर्वे क्र १०५ के टावरव्याप्त क्षेत्र एवंम पारेषण लाइन के निचे की भूमि का किए गए मूल्यांकन पत्र की प्रतिलिपि.